<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 08.10.2024</u>

आईजीआरएस के माध्यम से प्राप्त जनशिकायती प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में गोण्डा पुलिस ने प्रदेश में प्राप्त किया प्रथम स्थान–

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा वर्चुअल माध्यम से गोष्ठी कर सभी क्षेत्राधिकारियों/थाना प्रभारियों को जनसुनवाई तथा आई0जी0आर0एस0 के संबंध में दिए गए आवश्यक दिशा निर्देशः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के नेतृत्व में आईजीआरएस के माध्यम से प्राप्त जनशिकायती प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराने पर मुख्यमंत्री कार्यालय लोकभवन द्वारा जारी रैंकिंग में जनपद "गोण्डा पुलिस को उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान" प्राप्त हुआ है । जिसमें जनपद गोण्डा के कुल 18 थानों में से 17 थानों को संयुक्त रूप से शत् प्रतिशत अंक प्राप्त कर जनपद गोण्डा को प्रथम स्थान दिलाया गया। पुलिस अधीक्षक गोण्डा महोदय द्वारा वर्चुअल मीटिंग कर जनपद के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों के कार्यों की सराहना की गई तथा इसी प्रकार आगे भी जनशिकायती प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।

महोदय द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा प्रतिमाह शासन द्वारा की जाती है। समीक्षा/फीडबैक के आधार पर ही शासन द्वारा सभी जिलों की रैकिंग जारी की जाती है। शासन द्वारा आम लोगों की शिकायतों के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई थी। सभी प्रकार के शिकायती प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की एक समय सीमा निर्धारित होती है। समय सीमा के बाद भी अगर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण नहीं होता है तो वह डिफाल्टर की श्रेणी में आ जाता है। शिकायतों के त्वरित और बेहतर निस्तारण पर जनपदों की रैंकिंग निर्धारित की जाती है। महोदय द्वारा आईजीआरएस सेल प्रभारी निरीक्षक राजेश चौधरी व उनकी टीम को भविष्य में इसी प्रकार मेहनत और लगन से कार्य कर जनशिकायतों का समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु उत्साहवर्धन किया गया।

<u>शिकायतों के निस्तारण कराने वाली आईजीआरएस टीम का विवरण–</u>

01. आईजीआरएस प्रभारी निरीक्षक राजेश चौधरी
02. का० विवेक कुमार सिंह
03. म०का० नम्रता कुशवाहा
04. म०का० शिखा वर्मा
05. म०का० नैन्सी गुप्ता
06. म०का० प्रीति देवी

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेसनोट
दिनांक 08.10.2024

थाना मनकापुर पुलिस द्वारा भारी मात्रा में सुतली बम(लगभग 08 कुन्टल पटाखों) के साथ 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों व आगामी त्योहारों के दृष्टिगत अवैध पटाखों के निर्माण/भंडारन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में को0 मनकापुर की प्रथम पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त अंजनी उर्फ सालू पुत्र अनिल नि0 मोहल्ला राजेन्द्र नगर थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 48.400 कि0ग्रा0 सुतली बम(पटाखा) व द्वितीय पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त दुर्गेश कसौधन पुत्र दयाशंकर कसौधन नि0 मोहल्ला शास्त्री नगर थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 07 कुन्तल 63 किलो 900 ग्रा0 विभिन्न प्रकार के पटाखों को बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 07.10.2024 को थाना को0 मनकापुर की पुलिस टीमें थाना क्षेत्र में नवरात्रि दुर्गा पूजा के दृष्टिगत मनकापुर कस्बे में लगे पंडालों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु रवाना थे कि प्राप्त अवैध पटाखों के निर्माण/भंडारन की सूचना पर थाना मनकापुर की प्रथम पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त अंजनी उर्फ सालू को कस्बा मनकापुर से गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही से– एक गत्ता व 02 प्लास्टिक की बोरियों में 48.400 कि0ग्रा0 सुतली बम(पटाखा) व द्वितीय पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त दुर्गेश कसौधन को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही से 41 गत्ता व 17 बोरियों में कुल 07 कुन्तल 63 किलो0 900 ग्राम विभिन्न प्रकार के पटाखें बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना मनकापुर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मनकापुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त

01. अंजनी उर्फ सालू पुत्र अनिल नि0 मोहल्ला राजेन्द्र नगर थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।
02. दुर्गेश कसौधन पुत्र दयाशंकर कसौधन नि0 मोहल्ला शास्त्री नगर थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–500/24, धारा 288 बीएनएस व 9बी विस्फोटक पदार्थ अधि0 थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–501/24, धारा 288 बीएनएस व 9बी विस्फोटक पदार्थ अधि0 थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. मु0अ0सं0–500/24 से सम्बन्धित बरामदगी– एक गत्ता व 02 प्लास्टिक की बोरियों में 48.400 कि0ग्रा0 सुतली बम(पटाखा)
02. मु0अ0सं0–501/24 से सम्बन्धित बरामदगी–41 गत्ता व 17 बोरियों में कुल 07 कुन्तल 63 किलो0 900 ग्राम विभिन्न प्रकार के पटाखें।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

<u>टीम प्रथम–</u>

01. व0उ0नि0 प्रबोध कुमार।
02. म0उ0नि0 महिमा तिवारी।
03. म0उ0नि0 रूचि गौतम।
04. हे0का0 रवीस कुमार।
05. का0 अंकित शर्मा।
06. का0 दिलीप।
07. का0 दुर्गेश चौधरी।

<u>टीम द्वितीय–</u>

01. उ0नि0 उमेश सिंह।
02. उ0नि0 योगेश यादव।
03. मु0आ0 अखिलेश सिंह।
04. मु0आ0 सुरेश गुप्ता।
05. आ0 रवि सिंह।
06. आ0 परमानन्द।
07. आ0 रंकज यादव।
08. म0आ0 रोशनी त्रिवेदी।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 08.10.2024

थाना कोतवाली नगर साइबर हेल्प डेस्क द्वारा साइबर फ्रॉड से कटे पीडित के 25,000/– रूपये कराए गए वापस, पैसे वापस मिलने पर पीड़ित के चेहरे पर लौटी मुस्कान, पीड़ित ने गोण्डा पुलिस को किया धन्यवादः–

जनपद गोण्डा में साइबर फ्रॉड अपराध की रोकथाम के संबंध में त्वरित कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के मार्गदर्शन में थाना को0 नगर की साइबर हेल्प डेस्ट टीम द्वारा पीड़ित के फ्रॉड गयी धनराशि को सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए धनराशि 25,000.00/–(पचीस हजार रुपये) पीड़ित के खाते में वापस करायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
आवेदक वैभव श्रीवास्तव निवासी पूरे शिवा बख्तावर थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्ड़ा के द्वारा वर्क फ्रॉम होम के लालच में आकर कुल 49,800 का फ्रॉड ट्रांजेक्शन कर दिया गया था। साइबर फ्रॉड ठगी के उपरान्त आवेदक द्वारा इसकी शिकायत को0 नगर साइबर सेल के समक्ष की गयी थी। जिसपर थाना को0 नगर की साइबर सेल टीम द्वारा जनपदीय साइबर सेल टीम से समन्वय स्थापित कर त्वरित कार्यवाही करते हुए सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए पीड़ित के 25,000 रू0 की धनराशि वापस करायी गयी। पीड़ित द्वारा अपने रूपये वापस पाकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय व साइबर सेल टीम को धन्यवाद दिया गया।

महोदय द्वारा जनता को जागरूक करते हुए बताया गया कि साइबर ठगों से सावधान रहने की जरुरत है। किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओ0टी0पी0, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें। फ्रॉड ट्रांजेक्सन होने पर तत्काल अपने बैंक एवं थाना पर गठित साइबर सेल को सूचना दें एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 या डायल–112 पर भी शिकायत दर्ज कराएँ।

साइबर हेल्प डेस्क टीम
01. उ0नि0 उदित कुमार वर्मा(नोडल अधिकारी)
02. आ0 पंकज कुमार (साइबर पोर्टल संचालक)
03. म0आ0 शिवनी तिवारी (साइबर पोर्टल संचालक)

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेसनोट
दिनांक 08.10.2024

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा भारी मात्रा में विभिन्न प्रकार के पटाखों के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों व आगामी त्योहारों के दृष्टिगत अवैध पटाखों के निर्माण/भंडारन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में को0 नगर की पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त बाबू पुत्र गफूर नि0 मोहल्ला सुभाष नगर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 03 सफेद बोरी में सुतली पटाखा, 01 गत्ता छुरछुरी व अभियुक्त पप्पू पुत्र मुमताज के घर से 04 सफेद बोरी में सुतली पटाखा, 03 पीली बोरी में सुतली पटाखा, 05 गत्ता मिक्स रेडीमेड पटाखा व 01 काले बैग में छुरछुरी बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
आज दिनांक 08.10.2024 को थाना को0 नगर की पुलिस टीमें थाना क्षेत्र में नवरात्रि दुर्गा पूजा के दृष्टिगत मनकापुर कस्बे में लगे पंडालों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु रवाना थे कि सूचना प्राप्त हुई कि मोहल्ला सुभाष नगर के रहने वाले बाबू पुत्र गफूर, पप्पू पुत्र मुमताज उर्फ कुदारे अपने घरों में अवैध पटाखों का भंडारन कर रखा है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीमों द्वारा बाबू पुत्र गफूर को गिरफ्तार कर उसके घर से 03 सफेद बोरी में सुतली पटाखा, 01 गत्ता छुरछुरी बरामद किया गया तथा पप्पू पुत्र मुमताज के घर से 04 सफेद बोरी में सुतली पटाखा, 03 पीली बोरी में सुतली पटाखा, 05 गत्ता मिक्स रेडीमेड पटाखा व 01 काले बैग में छुरछुरी बरामद किया गया। पुलिस टीमों को देखकर पप्पू पुत्र मुमताज मौके से फरार हो गया। जिसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त
01. बाबू पुत्र गफूर नि0 मोहल्लाा सुभाष नगर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–772/24, धारा 288 बीएनएस व 9बी विस्फोटक पदार्थ अधि0 थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–
01. 07 सफेद बोरी में सुतली पटाखा
02. 03 पीली प्लास्टिक बोरी सुतली पटाखा।
03. 05 गत्ते में मिक्स रेडीमेड पटाखा
04. 01 गत्ता व 01 काला बैग छुरछुरी

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 दिनेश राय।
02. उ0नि0 राहुल प्रकाश।
03. मु0आ0 राजकरण यादव।
04. मु0आ0 भीम कुमार।
05. का0 अंगद शर्मा।
06. का0 अवधेश यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेसनोट</u>
<u>दिनांक 08.10.2024, थाना नवाबगंज</u>
<u>जनपद गोण्डा।</u>

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा भारी मात्रा में विभिन्न प्रकार के पटाखों के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों व आगामी त्योहारों के दृष्टिगत अवैध पटाखों के निर्माण/भंडारन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज की पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त सुमित गुप्ता पुत्र महाबीर प्रसाद निवासी मुट्ठीगंज कस्बा व थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 03 बोरी सुतली बम 15 किलोग्राम, 04 गत्ता भिन्न भिन्न ब्राड के पटाखे, 03 छोटी बोरी में भिन्न भिन्न ब्राड़ के पटाखे बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 08.10.2024 को थाना नवाबगंज की पुलिस टीमें थाना क्षेत्र में नवरात्रि दुर्गा पूजा/रामलीला के दृष्टिगत नवाबगंज कस्बे में लगे पंडालों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु रवाना थे कि सूचना प्राप्त हुई कि महाबीर प्रसाद गुप्ता लस्सी वाले का लड़का सुमीत गुप्ता मुहल्ला मुट्ठीगंज स्थित गोदाम पर अवैध पटाखों का भंडारन कर रखा है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीमों द्वारा सुमीत गुप्ता पुत्र महाबीर प्रसाद गुप्ता निवासी मुट्ठीगंज कस्बा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 03 बोरी सुतली बम 15 किलोग्राम, 04 गत्ता भिन्न-भिन्न ब्राड के पटाखे, 03 छोटी बोरी में भिन्न भिन्न ब्राड़ के पटाखे बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नवाबगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त

01. सुमित गुप्ता पुत्र महाबीर प्रसाद निवासी मुट्ठीगंज कस्बा व थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-340/24, धारा 288 बीएनएस व 9बी विस्फोटक पदार्थ अधि0 थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 03 बरी सुतली बम 15 किलोग्राम।
02. 04 गत्ता भिन्न भिन्न ब्राड के पटाखे।
03. 03 छोटी बोरी में भिन्न भिन्न ब्राड़ के पटाखे बरामद

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. अति0प्र0नि0 राधेश्याम यादव
02. का0 अभिषेक यादव
03. का0 रविकेश यादव

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 08.10.2024, थाना कर्नलगंज
जनपद गोण्डा।

थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना कर्नलगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-432/24, धारा 75(2), 352, 351(2) बीएनएस, 11/12 पाक्सो एक्ट व 3(1)द,ध,w, 3(2)va एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मंशाराम पुत्र माधवराज निवासी गोनई गोसाईपुरवा बबुरास थाना को0कर्नलगंज जनपद गोण्डा को बाबागंज चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30.09.2024 को थाना को0कर्नलगंज क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना कर्नलगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि उसकी पुत्री दिनाकं 29.09.2024 की शाम को शौच के लिए गयी थी कि विपक्षी मंशाराम द्वारा उनकी लड़की को पकड़ कर एकांत स्थान पर ले जाकर छेड़छाड किया है। मना करने पर हाथ में दाँत से काट लिया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0कर्नलगंज में सुंसगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर आज दिनांक 08.10.2024 को थाना को0कर्नलगंज पुलिस द्वारा दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त मंशाराम पुत्र माधवराज निवासी गोनई गोसाई पुरवा बबुरास थाना को0कर्नलगंज जनपद गोण्डा को बाबागंज चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0कर्लनगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. मंशाराम पुत्र माधवराज निवासी गोनई गोसाई पुरवा बबुरास थाना को0कर्नलगंज जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-432/24, धारा 75(2), 352, 351(2) बीएनएस, 11/12 पाक्सो एक्ट व 3(1)द,ध,w, 3(2)va एससी/एसटी एक्ट थाना को0कर्लनगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 अभिनव भरत सिंह
02. हे0का0 रामशरण मौर्या
03. हे0का0 अरविन्दर सिंह
04. हे0का0 अरविन्द कुमार राणा

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>

<u>दिनांक 08.10.2024, थाना कोतवाली नगर</u>

<u>जनपद गोण्डा।</u>

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा भारी मात्रा में विभिन्न प्रकार के पटाखों के साथ 02 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों व आगामी त्योहारों के दृष्टिगत अवैध पटाखों के निर्माण/भंडारन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में को0 नगर की पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त बाबू पुत्र गफूर नि0 मोहल्ला सुभाष नगर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 03 सफेद बोरी में सुतली पटाखा, 01 गत्ता छुरछुरी व अभियुक्त पप्पू पुत्र मुमताज के घर से 04 सफेद बोरी में सुतली पटाखा, 03 पीली बोरी में सुतली पटाखा, 05 गत्ता मिक्स रेडीमेड पटाखा व 01 काले बैग में छुरछुरी बरामद किया गया तथा वाछिंत अभियुक्त **अशफाक उर्फ पप्पू पुत्र मुमताज अली उर्फ कुदारे निवासी सुभाष नगर थाना को0नगर, गोण्डा को मोहल्ला सुभाष नगर थाना कोतवली नगर से गिरफ्तार किया गया।**

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 08.10.2024 को थाना को0 नगर की पुलिस टीमें थाना क्षेत्र में नवरात्रि दुर्गा पूजा के दृष्टिगत मनकापुर कस्बे में लगे पंडालों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु रवाना थे कि सूचना प्राप्त हुई कि मोहल्ला सुभाष नगर के रहने वाले बाबू पुत्र गफूर, पप्पू पुत्र मुमताज उर्फ कुदारे अपने घरों में अवैध पटाखों का भंडारन कर रखा है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीमों द्वारा बाबू पुत्र गफूर को गिरफ्तार कर उसके घर से 03 सफेद बोरी में सुतली पटाखा, 01 गत्ता छुरछुरी बरामद किया गया तथा पप्पू पुत्र मुमताज के घर से 04 सफेद बोरी में सुतली पटाखा, 03 पीली बोरी में सुतली पटाखा, 05 गत्ता मिक्स रेडीमेड पटाखा व 01 काले बैग में छुरछुरी बरामद किया गया। पुलिस टीमों को देखकर पप्पू पुत्र मुमताज मौके से फरार हो गया। जिसे **मोहल्ला सुभाष नगर से गिरफ्तार किया गया।** है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

01. बाबू पुत्र गफूर नि0 मोहल्ला सुभाष नगर थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।
02. अशफाक उर्फ पप्पू पुत्र मुमताज अली उर्फ कुदारे निवासी सुभाष नगर थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-772/24, धारा 288 बीएनएस व 9बी विस्फोटक पदार्थ अधि0 थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 07 सफेद बोरी में सुतली पटाखा
02. 03 पीली प्लास्टिक बोरी सुतली पटाखा।
03. 05 गत्ते में मिक्स रेडीमेड पटाखा
04. 01 गत्ता व 01 काला बैग छुरछुरी

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 दिनेश राय।
02. उ0नि0 राहुल प्रकाश।
03. मु0आ0 राजकरण यादव।
04. मु0आ0 भीम कुमार।
05. का0 अंगद शर्मा।
06. का0 अवधेश यादव।

प्रेस नोट
दिनांक 08.10.2024, मानिटरिंग सेल
जनपद गोण्डा।

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से मारपीट करने के 04 आरोपी अभियुक्तों को हुई 03 वर्ष कारावास व प्रत्येक को रू0 7,000/- अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी चेतराम पुत्र राममनोहर निवासी त्रिभुवननगर ग्रन्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा द्वारा दिनांक 12.10.2017 को थाना धानेपुर को सूचना दिया कि खेत काटने की बात को लेकर विपक्षीगण रामपियारे उनके बच्चे व पत्नी द्वारा वादी की पत्नी को गाली गुप्ता देते हुए लाठी दण्डा से मार पीट कर घायल कर दिये थे। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । मेडिकल रिपोर्ट आधार पर अभियोग में धारा 506, 308 भावि की बढोत्तरी करते हुए अभियुक्तो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक उ0नि0 रामदौर द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र दिनाकं 12.03.2018 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री सर्वजीत कुमार सिंह द्वारा थाना धानेपुर पुलिस, मॉनिटरिंग सेल, लोक अभियोजक श्री चन्द्रशेखर सिंह , कोर्ट मोहर्रिर म0का0 वन्दना व थाना धानेपुर के पैरोकार का0 सुर्यप्रकाश की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक- 08.10.2024 को दोषी अभियुक्तों – 01. रामपियारे पुत्र जगन्नाथ निवासी त्रिभुवन नगर ग्रन्ट, थाना धानेपुर जनपद गोण्डा, 02. विजय उर्फ समोज पुत्र रामपियारे निवासी त्रिभुवन नगर ग्रन्ट, थाना धानेपुर जनपद गोण्डा, 03. लालबहादुर उर्फ भुलई पुत्र रामपियारे निवासी त्रिभुवन नगर ग्रन्ट, थाना धानेपुर जनपद गोण्डा, 04. श्रीमती कलावती पत्नी रामपियारे निवासी त्रिभुवन नगर ग्रन्ट, थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को 03 वर्ष का कारावास व रू0 7,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

अभियुक्तगण का नाम पता-

01. रामपियारे पुत्र जगन्नाथ निवासी त्रिभुवन नगर ग्रन्ट, थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
02. विजय उर्फ समोज पुत्र रामपियारे निवासी त्रिभुवन नगर ग्रन्ट, थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
03. लालबहादुर उर्फ भुलई पुत्र रामपियारे निवासी त्रिभुवन नगर ग्रन्ट, थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
04. श्रीमती कलावती पत्नी रामपियारे निवासी त्रिभुवन नगर ग्रन्ट, थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0- 351/2017, धारा 308, 323, 504, 506 भादवि थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा.

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेसनोट
दिनांक 08.10.2024, थाना कटराबाजार
जनपद गोण्डा।

थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा अवैध पटाखों के साथ 03 अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से लगभग 03 बोरी विभिन्न प्रकार की पटाखे (01 कुण्टल) बरामद

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों व आगामी त्योहारों के दृष्टिगत अवैध पटाखों के निर्माण/भंडारन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना कटराबाजार की पुलिस टीम द्वारा 03 अभियुक्तों 01. तजम्मुल पुत्र पीरू, 02. नजमा पत्नी जमुनहा, 03. नूरजहाँ पत्नी नफीश को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 03 बोरी में विभिन्न प्रकार के हस्त निर्मित पटाखे(1 कुंटल) बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 08.10.2024 को थाना कटराबाजार की पुलिस टीमें थाना क्षेत्र में नवरात्रि दुर्गा पूजा/रामलीला के दृष्टिगत कटराबाजार क्षेत्र में लगे पंडालों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु रवाना थे कि सूचना प्राप्त हुई कि मनीहारनपुरवा मौजा मोतीसिंह का पुरवा थाना कटराबाजार में अवैध पटाखों का भंडारन कर रखा है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीमों द्वारा 03 अभियुक्तों 01. तजम्मुल पुत्र पीरू, 02. नजमा पत्नी जमुनहा, 03. नूरजहाँ पत्नी नफीश को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 03 बोरी में विभिन्न प्रकार के हस्त निर्मित पटाखे(1 कुंटल) बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कटराबाजार में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त

01. तजम्मुल पुत्र पीरु निवासी ग्राम मानिहारिनपुरवा मौजा मोतीसिंह मथुरा थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।
02. नाजमा पत्नी जमुनहा निवासी ग्राम मानिहारिनपुरवा मौजा मोतीसिंह मथुरा थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।
03. नूरजहाँ पत्नी नफीश निवासी ग्राम मानिहारिनपुरवा मौजा मोतीसिंह मथुरा थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-377/24, धारा 288 बीएनएस व 9बी विस्फोटक पदार्थ अधि0 थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 03 बोरी में विभिन्न प्रकार के हस्त निर्मित पटाखे बरामद।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. व0उ0नि0 श्री अरविन्द सिंह
02. उ0नि0 श्री संजीव चौहान
03. कां0 नन्द लाल गौड़
04. कां0 विरेन्द्र यादव
05. कां0 आनन्द कुमार
06. कां0 गोविन्द चौहान
07. कां0 विकास यादव
08. म0कां0 सुनीता यादव
09. म0कां0 रामकुमारी राना

मीडिया सेल, गोण्डा।